Form No. III
फर्दअहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **<u>न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़</u>** मुकाम **<u>चित्तौड़गढ</u>**

<u>हजारी</u> बनाम **<u>बंसती वगैराह</u>**

<u>कार्यवाही अन्तर्गत :–</u> **धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

किस्म मुकदमा **<u>प्रार्थना पत्र (रे0वि0)</u>** नं0 **<u>075</u>** सन् **<u>2024</u>**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.06.2025	पत्रावली सिगहे पेश हुई। वकील प्रार्थी **एसएन जाट** हाजिर। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर में लम्बित प्रकरण संख्या 015/2015 (रे.वा.) अनवानी बसंतीलाल बनाम हजारी वगैराह को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त नहीं होने की संभावना से प्रकरण को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर से दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान स्थिति में तत्कालीन पीठासीन का स्थानान्तरण हो चुका है, ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निष्प्रभावी **(Ineffective)** हो चुका है, ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अधिशेष नहीं रहती है, अतः प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किये जाने का आदेश दिया जाता है। अहकाम की प्रति अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ 10.06.2025	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official